

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर 2026 — अश्विन 1, शक 1948

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 सितम्बर 2026

अधिसूचना

क्रमांक PROJ/4839/2026-C&I.— चूंकि राज्य के व्यापक लोकहित के लिए राज्य को देश के एक प्रमुख निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए, औद्योगिक नीति 2019-24 एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत, निर्यात-उन्मुख इकाईयों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, संलग्न अनुसार छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 अधिसूचित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30

1. नाम एवं नीति समयावधि

- (1) इस नीति को "छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30" कहा जाएगा।
- (2) यह नीति सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी।
- (3) यह नीति राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 31 मार्च, 2030 तक प्रभावशील रहेगी।

2. उद्देश्य

यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों के माध्यम से अपने दृष्टिकोण (Vision) को साकार करने का प्रयास करती है:-

- (1) निर्यात में वृद्धि छत्तीसगढ़ राज्य से निर्यात में वृद्धि को प्रोत्साहित करना एवं उसका विस्तार सुनिश्चित करना। राज्य शासन का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 को आधार वर्ष मानते हुए 31 मार्च, 2030 तक छत्तीसगढ़ राज्य से होने वाले वस्तु निर्यात को दोगुना किया जाए एवं भारत के कुल वस्तु निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को लगभग 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत तक किया जाए।
- (2) निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना सहायक नीतियों, सरल प्रक्रियाओं एवं संस्थागत सुविधा के माध्यम से सशक्त एवं अनुकूल व्यवसायिक वातावरण का निर्माण करना।
- (3) निर्यात उत्पाद विविधीकरण- मौजूदा उत्पाद श्रृंखलाओं को उन्नत करते हुए मूल्य संवर्धित उत्पादों का विकास तथा नए एवं उभरते क्षेत्रों में विस्तार कर कृषि एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्रों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- (4) बाज़ार पहुँच में वृद्धि-व्यापार सुविधा उपायों, वैश्विक प्रदर्शनियों में सहभागिता तथा सीमा-पार व्यापार हेतु ई-कॉमर्स मंचों में उपस्थिति हेतु प्रोत्साहन के माध्यम से निर्यातकों और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने हेतु सहायक तंत्र विकसित करना।
- (5) क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास संस्थागत सहयोग, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं निर्यात साक्षरता पहलों को सुदृढ़ करते हुए उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs), स्टार्ट अप इकाइयों तथा कृषक उत्पादक समूहों की क्षमताओं को उन्नत करना।
- (6) एक जिला एक उत्पाद (ODOP): एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल के अंतर्गत चिन्हांकित जिला-विशिष्ट उत्पादों के संवर्द्धन तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने हेतु मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, गुणवत्ता उन्नयन तथा बाज़ार पहुँच से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी निर्यात क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
- (7) भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पाद: राज्य के भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित करना तथा उनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच को सुगम बनाना, जिससे निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय उत्पादकों एवं शिल्पकारों के लिए सतत आजीविका के अवसरों का सृजन सुनिश्चित किया जा सके।

3. परिभाषाएँ

- (1) "नीति" से अभिप्राय है "छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30"।
- (2) "उद्यम" से अभिप्राय ऐसे औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी अन्य स्थापना से है, जिसे

किसी भी नाम से जाना जाता हो तथा जो वस्तुओं के विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण अथवा सेवाओं के प्रदाय के कार्य में संलग्न हो।

(3) "निर्यातक" से अभिप्राय ऐसे उद्यम से है, जिसके पास आयात-निर्यात कोड (Import-Export Code) तथा संबंधित निर्यात संवर्द्धन समिति / परिषद् / बोर्ड / प्राधिकरण / संगठन द्वारा जारी पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (RCMC) उपलब्ध हो।

(4) "प्रथम बार निर्यातक" से अभिप्राय ऐसे उद्यम से है, जिसके पास वैध आयातक-निर्यातक कोड (Importer-Exporter Code - IEC) हो तथा जिसके विरुद्ध इस नीति के अंतर्गत आवेदन की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती [तीन] वर्षों के दौरान कोई निर्यात शिपिंग बिल दाखिल न किया गया हो।

(5) "भौगोलिक संकेतक" (Geographical Indication) से आशय ऐसे संकेतक से है जो यह दर्शाता है कि कोई वस्तु, कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तु या विनिर्मित वस्तु के रूप में किसी देश के क्षेत्र या उस देश के किसी भाग अथवा स्थानीय क्षेत्र से उत्पन्न हुई है या वहीं निर्मित की गई है और जिसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेष गुण उसके भौगोलिक मूल से मूलतः संबंधित हैं। जहाँ ऐसी विनिर्मित वस्तुएँ (manufactured goods) हों, वहाँ यह आवश्यक है कि उस वस्तु के उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्माण से संबंधित कम-से-कम एक चरण उस क्षेत्र, भाग या स्थान विशेष में संपन्न होना आवश्यक हो।

(6) अन्य प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएँ वही होगी जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के कंडिका 2 एवं छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 की कंडिका 5 में उल्लेखित हैं।

4. प्रस्तावना

(1) निर्यात को राज्य एवं देश की आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास तथा समग्र प्रगति का प्रमुख आधार माना जाता है। वर्ष 2047 तक "विकसित भारत" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक वस्तु निर्यात को एक खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में व्यापार एवं निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

(2) राज्य से निर्यात की गति को बढ़ावा देने तथा राज्य के उद्यमों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के उद्देश्य से एक सक्षम एवं प्रोत्साहन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु यह निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

(3) इस नीति का दृष्टिकोण ऊर्ध्वाधर (Vertical) तथा क्षैतिज (Horizontal) दोनों प्रकार का है। ऊर्ध्वाधर रणनीति का उद्देश्य निर्यातकों को प्रत्यक्ष बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराना तथा उनके लिए आवश्यक संपर्क एवं नेटवर्क को सुदृढ़ करना है, वहीं क्षैतिज रणनीति का उद्देश्य मौजूदा उत्पाद श्रृंखलाओं में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। इन दोनों रणनीतियों के संयुक्त क्रियान्वयन से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान, मूल्य श्रृंखला (Value Chain) के विभिन्न चरणों में आवश्यक हस्तक्षेपों तथा निर्यातकों के सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह नीति छत्तीसगढ़ राज्य को प्रतिस्पर्धात्मक एवं निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करेगी।

(4) इस नीति की एक प्रमुख विशेषता इसका जिला-केंद्रित दृष्टिकोण होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले को रणनीतिक रूप से निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिले से विशिष्ट उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान की जाएगी (ODOP)

तथा विशेष रूप से ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication - GI) प्राप्त करने की संभावना हो।

(5) इसके अतिरिक्त, यह नीति सेवा क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता देगी, ताकि उसके माध्यम से राज्य के निर्यात संवर्धन में योगदान की संभावनाओं का पूर्ण उपयोग एवं विस्तार किया जा सकेगा। इससे स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादों की विशिष्टता में वृद्धि होगी तथा जमीनी स्तर पर निर्यात क्षमता का सुदृढ़ीकरण होगा।

5. निर्यात प्रोफाइल

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल माल (Merchandise) निर्यात ₹41.21 लाख करोड़ रहा, जबकि इसी अवधि में छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग ₹0.19 लाख करोड़ रहा। यह देश के कुल माल निर्यात का लगभग 0.5 प्रतिशत है। राज्य की मजबूत आर्थिक आधारशिला तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को देखते हुए, लक्षित हस्तक्षेपों एवं नीतिगत समर्थन के माध्यम से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

(2) राज्य का निर्यात मुख्यतः उसके प्राकृतिक संसाधनों एवं औद्योगिक क्षमता पर आधारित है। राज्य के कुल निर्यात में गैर-बासमती चावल का सर्वाधिक योगदान 55.14 प्रतिशत है, इसके बाद लौह एवं इस्पात (20.05 प्रतिशत), लौह एवं इस्पात से निर्मित उत्पाद (6.26 प्रतिशत), एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम उत्पाद (5.96 प्रतिशत), स्मार्टफोन सहित दूरसंचार उपकरण (2.20 प्रतिशत) तथा वनस्पति तेल (1.77 प्रतिशत) का स्थान है। जिला स्तर पर रायपुर का योगदान सर्वाधिक 67.55 प्रतिशत है, इसके बाद रायगढ़ (12.93 प्रतिशत) एवं कोरबा (6.08 प्रतिशत) का स्थान है।

(3) छत्तीसगढ़ के निर्यात अफ्रीका, एशिया एवं यूरोप के विभिन्न देशों तक पहुंचते हैं। इनमें राज्य के निर्यात का प्रमुख गंतव्य क्षेत्र अफ्रीका है। प्रमुख निर्यात गंतव्यों में बेनिन (11.35 प्रतिशत), इटली (7.89 प्रतिशत), कोट डी आइवर (7.66 प्रतिशत), टोगो (7.17 प्रतिशत) तथा सेनेगल (6.81 प्रतिशत) शामिल हैं।

6. संस्थागत तंत्र

(1) राज्य निर्यात संवर्धन समिति (State Export Promotion Committee)- राज्य में निर्यातकों एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु राज्य निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया है। यह समिति निर्यात संवर्धन, रणनीति निर्माण, विचार-विमर्श, सूचना आदान-प्रदान तथा निर्यातकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी मंच के रूप में कार्य करती है।

(2) जिला निर्यात संवर्धन समिति (District Export Promotion Committee) - जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निर्यात संवर्धन समिति जिले स्तर पर निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राज्य निर्यात समिति (SEPC), एक जिला एक उत्पाद प्रकोष्ठ (ODOP Cell) तथा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

(3) निर्यात सुविधा केन्द्र (Export Facilitation Centre) - छत्तीसगढ़ शासन एवं भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) कोलकाता के मध्य निष्पादित MOU के आधार पर उद्योग भवन, रायपुर में निर्यात सुविधा केन्द्र, औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 की कंडिका 11 (निर्यात संवर्धन) के अंतर्गत स्थापित की गई है। यह केन्द्र निर्यातकों को सहायता, मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान कर निर्यात संवर्धन हेतु समर्पित सहयोग उपलब्ध

कराता है।

7. प्रोत्साहन

राज्य के उत्पादों एवं सेवाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली अतिरिक्त लागत को कम करने तथा व्यापक बाजार पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्यातकों हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहनों का प्रावधान किया जाता है:-

(1) वित्तीय प्रोत्साहन

(i) प्रथम बार निर्यातकों हेतु सहायता

राज्य में नवीन उद्यमों को वैश्विक बाजारों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, राज्य के प्रथम बार निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत पंजीयन-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों (Registration-cum-Membership Certificate आरसीएमसी) पर किए गए कुल व्यय की पचहत्तर प्रतिशत (75%) राशि की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जाएगी, जो अधिकतम ₹20,000 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

(ii) ई-कॉमर्स निर्यात हेतु सहायता

स्थानीय उद्यमों को वैश्विक बाजारों तक पहुँच उपलब्ध कराने तथा उनके निर्यात विपणन के अवसरों का विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य शासन द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर एकमुश्त प्रारंभिक पंजीयन एवं ऑनबोर्डिंग व्यय (जैसे जिसमें पंजीकरण शुल्क, सदस्यता शुल्क तथा कैटलॉगिंग/सूचीबद्धीकरण शुल्क सम्मिलित हैं) पर किए गए पात्र व्यय की पचहत्तर प्रतिशत (75%) राशि की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता प्रति आयातक-निर्यातक कोड (IEC) / निर्यातक प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम ₹2.00 लाख तक तथा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए देय होगी।

(iii) निर्यात हेतु ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग सहायता

एक जिला एक उत्पाद (ODOP) एवं भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग एवं निर्यात पैकेजिंग हेतु क्लस्टरों, उत्पादक संघों एवं सामूहिक संस्थाओं को पात्र व्यय का 50% अनुदान, अधिकतम ₹15.00 लाख प्रति लाभार्थी प्रति वित्तीय वर्ष की सीमा तक, प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान नीति के प्रवृत्त रहने की अवधि तक देय होगा।

(iv) निर्यात ऋण बीमा सहायता

(a) वित्तपोषण लागत को कम करने तथा निर्यात जोखिम सुरक्षा (कवरेज) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बीमा प्रीमियम पर अनुदान प्रदान की जाएगी। इस प्रावधान के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) निर्यातक, 'एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (ECGC) को भुगतान किए गए प्रीमियम के 50% की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे। अनुदान की अधिकतम सीमा ₹5.00 लाख प्रतिवर्ष तक होगी। (b) प्रथम बार निर्यात करने वाले निर्यातकों को उनके कुल निर्यात बीमा प्रीमियम का 75% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो प्रति आईईसी (IEC) प्रति वर्ष अधिकतम ₹5 लाख तक सीमित होगी।

(v) निर्यात लॉजिस्टिक्स एवं आईसीडी (ICD) थ्रूपुट सहायता

(a) निर्यातक इकाई द्वारा अपने परिसर से राज्य में स्थापित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)/ मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी), तक निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के परिवहन पर वहन किए गए

वास्तविक मालभाड़ा व्यय (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) का 50% अधिकतम ₹2.00 लाख प्रतिवर्ष के प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगी। यह अनुदान अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक प्रदाय होगी।

(b) वे निर्यातक जो अपने लोडेड (माल-युक्त) निर्यात कंटेनरों का परिवहन राज्य में स्थापित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) / मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) के माध्यम से करते हैं उन्हें प्रति वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट (TEU) पर ₹10,000 की भूषुट प्रोत्साहन अधिकतम सीमा ₹20.00 लाख प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। यह अनुदान अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक प्रदाय होगी।

परंतु यह कि, उपर्युक्त प्रोत्साहन किसी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD)/मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) के संबंध में उसकी अधिसूचना की तिथि से तीन (3) वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अथवा राज्य निर्यात संवर्धन समिति (SEPC) द्वारा यह निर्धारित किए जाने पर कि उक्त सुविधा ने अपनी स्थापित क्षमता का सतत उपयोग, सामान्यतः साठ प्रतिशत (60%) अथवा उससे अधिक, या परिचालन एवं वाणिज्यिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्तर तक प्राप्त कर लिया है, इनमें से जो भी घटना पहले घटित हो, उस तिथि से यह प्रोत्साहन देय नहीं होगा।

(vi) भौगोलिक संकेतक (GI) पंजीकरण प्रतिपूर्ति

भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों के आवेदन एवं पंजीकरण प्रक्रिया में व्यय की गई आवेदन/पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹2.00 लाख की सीमा तक प्रदान की जाएगी। भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों के पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने एवं भौगोलिक संकेतक अभिलेखागार (Geographical Indications Registry) द्वारा "भौगोलिक संकेतक वस्तुएँ (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999" तथा उसके नियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र विधिवत् जारी होने पर उक्त अनुदान की पात्रता होगी।

(vii) निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार

राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को उनके उत्कृष्ट निर्यात प्रदर्शन हेतु प्रतिवर्ष "निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार" प्रदान किए जाएंगे। प्रतिवर्ष कुल तीन (03) प्रमुख पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे -

(a) उत्कृष्ट राज्य निर्यातक

(b) उत्कृष्ट महिला निर्यातक तथा

(c) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उत्कृष्ट निर्यातक

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत विशिष्ट उत्पाद/सेवा श्रेणी के लिए नौ (09) प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिले तथा संभावनाशील निर्यातकों को मान्यता प्राप्त हो सके। राज्य निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु प्रत्येक विजेता को ₹2,00,000/- तथा प्रत्येक प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ₹51,000/- की राशि प्रदान की जाएगी। किसी इकाई को एक बार पुरस्कार प्राप्त होने के पश्चात अगले दो वर्षों तक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(2) गैर वित्तीय प्रोत्साहन

(i) क्षमता निर्माण एवं निर्यात जागरूकता

निर्यातकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने, उत्पाद चयन, निर्यात संभावित बाज़ार की पहचान, प्रशुल्क (Tariff), केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाएँ एवं उनके लाभ, लाजिस्टिक लागत (Logistics costs), बीमा, गैर-व्यापारिक उपाय (NTMs), विभिन्न आयात गंतव्यों द्वारा आरोपित गैर-व्यापारिक बाधाएँ (Non-Trade Barriers), क्रेडिट फाइनैस विकल्प एवं

उसकी प्रक्रिया, सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ (Customs Procedures), व्यापार नीति का अनुपालन, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम (Customs Tariff Act) तथा मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के उपयोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक राज्यव्यापी निर्यात संवर्धन अभियान संचालित किया जाएगा। उक्त पहल के अंतर्गत, वर्तमान एवं संभावित निर्यातकों को व्यावहारिक मार्गदर्शन (Hands-on guidance) तथा सहायता प्रदान करने हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) निर्यात प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण संबंधी प्रशिक्षण

राज्य में निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से, राज्य शासन द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT), विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) तथा अन्य मान्यता प्राप्त व्यापारिक संस्थाओं के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इन कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त व्यापार संघों एवं संगठनों से परामर्श लेकर एक वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाएगा। यह कैलेंडर प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए एक संरचित ढांचा (Structured Framework) प्रदान करेगा, जिससे निर्यात क्षेत्र में क्षमता निर्माण एवं ज्ञान-के आदान-प्रदान को संस्थागत रूप से बढ़ावा मिल सकेगा।

(iii) गुणवत्ता मानक एवं प्रमाणीकरण संबंधी प्रशिक्षण

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO), भारतीय पैकेजिंग संस्थान (Indian Institute of Packaging), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) तथा अन्य संबंधित संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उद्यमों एवं निर्यातकों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों (Quality Benchmarks), प्रमाणीकरण आवश्यकताओं (Certification Requirements), अनुपालन प्रक्रियाओं (Compliance Mechanisms) तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों (Quality Management Systems) के प्रति जागरूकता बढ़ाना होगा। साथ ही, मूल प्रमाण पत्र (Certificate of Origin) तथा भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication - GI) जैसी प्रमाणीकरण के माध्यम से निर्यात उत्पादों की विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

(iv) एक जिला एक उत्पाद (ODOP) का संवर्धन

एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 38 विशिष्ट उत्पादों की पहचान की गई है। इन उत्पादों में विविधता है, जैसे धान, मक्का, दालें, तिलहन, फल, सब्जियां, हस्तशिल्प और वन-आधारित उपज, जिन्हें ODOP/DEH (Districts as export Hubs) उत्पादों के रूप में नामित किया गया है, जो राज्य की कृषि क्षमता, प्राकृतिक संसाधन आधार और पारंपरिक शिल्प को प्रदर्शित करते हैं। राज्य द्वारा इन उत्पादों के ब्रांड निर्माण, बाजार लिंकेज स्थापित करने तथा निर्यात संवर्धन हेतु प्रयास किया जाएगा, जिससे विभिन्न जिलों के किसानों, कारीगरों तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के आय के अवसरों में वृद्धि के अवसर उपलब्ध होंगे।

(v) बाजार पहुँच सहायता (मार्केट एक्सेस सपोर्ट)

राज्य के उत्पादों एवं सेवाओं की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान को बढ़ावा देने,

वैश्विक बाजारों तक पहुँच का विस्तार करने, व्यवसाय-से-व्यवसाय (Business-to-Business B2B) संपर्क को प्रोत्साहित करने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) निर्यातकों को नवीन निर्यात बाजारों तक पहुँच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (Buyer-Seller Meets), रिवर्स क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (Reverse Buyer-Seller Meets) में सहभागिता की सुविधा प्रदान की जाएगी एवं उक्त सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।

ऐसी सहभागिता में प्रथम बार निर्यातकों, ओडीओपी (ODOP) एवं भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों के एमएसएमई निर्यातकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उक्त सहभागिता पर होने वाला व्यय ₹500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र) के वार्षिक बजटीय प्रावधान से वहन किया जाएगा, जिसमें राज्य शासन की बजटीय स्वीकृति के अधीन प्रति वर्ष अधिकतम पाँच प्रतिशत (5%) तक वृद्धि की जा सकेगी।

जहाँ कहीं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पात्रता उपलब्ध हो, वहाँ राज्य शासन निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission EPM) के मार्केट एक्सेस सपोर्ट (Market Access Support - MAS) घटक अथवा उसके स्थान पर लागू किसी अन्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करेगा।

(vi) निर्यात अनुसंधान, बाजार अभिज्ञान एवं बौद्धिक संपदा राज्य में निर्यात प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी क्षेत्रवार प्रवृत्तियों के आकलन, प्रतिकूल परिस्थितियों में आवश्यक सुधारात्मक उपायों के निर्धारण तथा पेटेंट, ट्रेडमार्क एवं अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीयन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन समयबद्ध, विश्वसनीय एवं व्यापक निर्यात संबंधी जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

निर्यात अनुसंधान एवं बाजार अभिज्ञान में देशवार, क्षेत्रवार एवं वस्तुवार रिपोर्ट, निर्यात योग्य उत्पादों एवं संभावित निर्यात गंतव्यों की पहचान, विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए शुल्क (टैरिफ), केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाएँ एवं उनके लाभ, लॉजिस्टिक लागत, बीमा, गैर-शुल्क उपाय (Non-Tariff Measures NTMs), गैर-शुल्क बाधाएँ (Non-Tariff Barriers NTBs), परीक्षण एवं प्रमाणन आवश्यकताएँ, मानकों के अनुपालन संबंधी जानकारी, निर्यात ऋण एवं वित्तीय सहायता के विकल्प एवं उनकी प्रक्रिया, सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ, विदेश व्यापार नीति का अनुपालन, सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Tariff Act), मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements - FTAs) के उपयोग, निर्यात में प्रयुक्त कच्चे माल पर अन्य देशों द्वारा किए जा रहे डंपिंग का विश्लेषण, अन्य देशों द्वारा लगाए गए संरक्षणात्मक उपाय (Safeguard Measures), व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों, खरीदार-विक्रेता बैठकों (Buyer-Seller Meets), एक जिला एक उत्पाद (ODOP) एवं भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों की पहचान एवं उनके संवर्धन संबंधी जानकारी सम्मिलित होगी।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु उद्योग संचालनालय के अधीन "निर्यात इंटेलिजेंस प्रकोष्ठ (Export Intelligence Cell - EIC)" की स्थापना की जाएगी। इसके संचालन हेतु प्रतिवर्ष ₹3.00 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा, जिसका उपयोग (i) बाजार अनुसंधान, (ii) उभरते व्यापार अवसरों, अप्रयुक्त बाजारों एवं उत्पाद-विशिष्ट मांग का विश्लेषण करने हेतु बाजार आसूचना अध्ययन, तथा (iii) निर्यात योग्य उत्पादों के पेटेंट, ट्रेडमार्क एवं अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीयन में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

निर्यातकों की सुविधा हेतु राज्य शासन द्वारा इन्वेस्ट सीजी पोर्टल (Invest CG Portal) विकसित किया गया है, जो निर्यात संबंधी जानकारी का एकीकृत मंच होगा। इस पोर्टल में एक समर्पित निर्यात मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित

अद्यतन निर्यात ऑकड़े, व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों की सूचनाएँ, निर्यात योग्य उत्पादों का विवरण, संभावित निर्यात बाजारों की जानकारी, उपलब्ध निर्यात अवसंरचना, बाजार आसूचना रिपोर्ट तथा मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) से संबंधित जानकारी संरचित एवं सुलभ रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला स्तर पर निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन जिला निर्यात कार्ययोजना (District Export Action Plan - DEAP) तैयार करेगा। इन कार्ययोजनाओं में उच्च निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान, उत्पाद विविधीकरण की रणनीतियाँ तथा जिला-विशिष्ट निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु कार्ययोजना का समावेश होगा। इस संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से राज्य के प्रत्येक जिले को "निर्यात हब (Export Hub)" के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे भारत के निर्यात में छत्तीसगढ़ का योगदान सुदृढ़ एवं सतत रूप से बढ़ाया जा सके।

8. सेवा निर्यात का संवर्धन

(1) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सेवा क्षेत्र के 12 चैंपियन सेक्टरों के विकास हेतु 'चैंपियन सेक्टर्स इन सर्विसेज' कार्ययोजना के अंतर्गत ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इस राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए सेवा निर्यात संवर्धन हेतु प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया है, जिनमें पर्यटन, आतिथ्य एवं साहसिक पार्क; होटल, रिसॉर्ट एवं कन्वेंशन सेंटर; संग्रहालय एवं सांस्कृतिक सेवाएं; बस्तर एवं सरगुजा संभाग में इको-टूरिज्म एवं होमस्टे; स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर; 3D/एनिमेशन/VFX एवं फिल्म स्टूडियो; BPO, IT परामर्श एवं डेटा प्रोसेसिंग केंद्र तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुसंधान एवं विकास सम्मिलित हैं।

(2) वैश्विक व्यापार में सेवाओं की बढ़ती भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार पर्यटन, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, IT एवं IT सक्षम सेवाओं तथा उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सेवा निर्यात को प्राथमिकता देगी। इस हेतु निम्नलिखित रणनीतिक उपाय अपनाए जाएंगे -

(i) कौशल विकास

सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता सीधे तौर पर कार्यबल की दक्षता एवं उद्योग-तत्परता पर निर्भर करती है। राज्य सरकार, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अंतर्गत स्थापित सेक्टर स्किल काउंसिलों (SSCs) के सहयोग से पर्यटन, आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण एवं संबद्ध सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक मानक एवं दक्षता ढांचे विकसित करेगी, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रम संचालित करेगी, कौशल अंतराल का आकलन करेगी तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुरूप प्रमाणन सुनिश्चित करेगी।

(ii) विनियमों, मानकों एवं प्रमाणीकरण की सुलभता

वैश्विक बाजारों में प्रवेश के लिए सेवा निर्यातकों को गंतव्य देशों की नियामकीय एवं प्रमाणन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। राज्य सरकार लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं, अर्हता शर्तों, निर्धारित शुल्क एवं सक्षम प्राधिकारियों की जानकारी का समयबद्ध प्रसार सुनिश्चित करेगी। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणन तंत्र की स्थापना में सहायता प्रदान करेगी, जिससे सेवा प्रदाता वैश्विक बाजारों में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

(iii) संभावित बाजारों तक पहुँच का अन्वेषण

भारत सरकार ने यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, UAE, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, EFTA-TEPA देशों, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया एवं ASEAN राष्ट्रों सहित अनेक

देशों के साथ सेवा व्यापार में मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) संपन्न किए हैं। राज्य सरकार इन FTAs के अंतर्गत उपलब्ध प्राथमिकता बाजार पहुंच का लाभ उठाने हेतु निर्यातकों में जागरूकता प्रसार, क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन के लक्षित कार्यक्रम संचालित करेगी।

(iv) अन्य व्यावसायिक सेवाओं (OBS) के निर्यात का संवर्धन

छत्तीसगढ़ को इंजीनियरिंग, विधिक, प्रबंधन, अनुसंधान एवं संबद्ध व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात हब के रूप में विकसित करने हेतु संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यावसायिक मानक, दक्षता ढांचे एवं प्रमाणन कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्षेत्र-विशिष्ट संघों को वैश्विक साझेदारी एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग हेतु प्रेरित किया जाएगा तथा सेवा प्रदाताओं की डिजिटल एवं ज्ञान-आधारित क्षमताओं को उन्नत कर व्यावसायिक सेवा निर्यात को दीर्घकालिक एवं प्रतिस्पर्धी आधार प्रदान किया जाएगा।

(3) पात्र सेवा निर्यातकों को इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा आयोजित बाजार पहुंच सहायता के प्रावधानों के अधीन, परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, वस्तु निर्यातकों के समान आधार पर सहभागिता हेतु चयन के लिए विचार किया जाएगा।

9. सामान्य नियम एवं शर्तें

(1) इस नीति में प्रावधानित अनुदान प्रोत्साहन, रियायतें, पात्रता निर्धारण एवं अन्य प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश/अधिसूचनाएँ जारी की जाएगी।

(2) नीति अथवा उसके संचालन दिशा-निर्देशों की व्याख्या प्रतिक्रिया या कार्यान्वयन संबंधी विवादों का निपटारा नोडल विभाग द्वारा किया जाएगा। नोडल विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(3) निर्यात इंटेलिजेंस प्रकोष्ठ तथा जिला निर्यात संवर्धन समितियाँ (District Export Promotion Committees) एक जिला एक उत्पाद (ODOP), कृषि एवं संबद्ध उत्पादों तथा एमएसएमई के निर्यात माल का समेकन (Aggregation) करेंगी, ताकि उनका इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) पर समेकीकरण (Consolidation) एवं कंटेनरीकरण (Containerization) किया जा सके। साथ ही, छोटे निर्यातकों के लिए एलसीएल (LCL - पूर्ण कंटेनर से कम माल) सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) बस्तर एवं सरगुजा संभाग में स्थापित उद्यमों को 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10% अधिक होगी।

(5) राज्य की महिला उद्यमियों, SC/ST निर्यातकों, राज्य के अधिवासी भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों, राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीरों, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों तथा दिव्यांगजनों द्वारा स्थापित उद्यमों को इस नीति के अंतर्गत अन्यथा देय अनुदान से 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में संबंधित अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10% अधिक होगी।

(6) एक जिला एक उत्पाद (ODOP), भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों के निर्यातक तथा स्टार्ट अप इकाइयों एवं औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत अधिसूचित भ्रष्ट सेक्टर के इकाइयों को भी 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10% अधिक होगी।

(7) उपर्युक्त उपबंधों के अंतर्गत क्षेत्रीय, विशेष श्रेणी एवं सेक्टर आधारित अतिरिक्त अनुदानों का समेकित लाभ किसी भी इकाई को सामान्यतः देय अनुदान एवं उसकी अधिकतम सीमा की तुलना में कुल मिलाकर 15% से अधिक नहीं होगा।

(8) विभिन्न अनुदान योजना हेतु आवेदन का प्रारूप संचालक उद्योग द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

(9) कोई भी उद्यम इस नीति के अंतर्गत किसी ऐसे व्यय या गतिविधि के लिए प्रतिपूर्ति अनुदान अथवा प्रोत्साहन का पात्र नहीं होगा, जिसके संबंध में भारत सरकार की एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) अथवा भारत सरकार / छत्तीसगढ़ शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा चुकी हो।

(10) जहाँ इस नीति में अन्यथा उपबंधित न हो, वहाँ औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित शर्तें इस नीति के अंतर्गत देय प्रोत्साहनों पर लागू नहीं होंगी। इस नीति के अंतर्गत किसी भी सहायता हेतु दावा संबंधित व्यय किए जाने अथवा संबंधित घटना के घटित होने की तिथि से बारह (12) माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इस नीति के अंतर्गत कोई सहायता मिथ्या घोषणा के आधार पर अथवा खंड 9 (9) के उपबंधों के उल्लंघन में प्राप्त की जाती है, तो ऐसी सहायता बारह दशमलव पाँच प्रतिशत (12.5%) वार्षिक ब्याज सहित भूमि राजस्व के बकाया की भाँति वसूल की जाएगी।

(11) इस नीति के अंतर्गत स्थापित निर्यात इंटेलिजेंस प्रकोष्ठ (Export Intelligence Cell - EIC) को निम्नलिखित प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों (Key Performance Indicators KPIs) सहित, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, निर्धारित संकेतकों की प्राप्ति सुनिश्चित करना तथा उनकी निगरानी करना अपेक्षित होगा-

(i) नीति के अंतर्गत पंजीकृत एवं सुविधा प्राप्त करने वाले नए तथा प्रथम बार निर्यात करने वाले निर्यातकों की संख्या;

(ii) राज्य के कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की हिस्सेदारी में वृद्धि

(iii) चावल एवं इस्पात को छोड़कर अन्य उत्पादों के निर्यात मूल्य में वृद्धि, जो निर्यात विविधीकरण का संकेतक होगी;

(iv) ऐसे जिलों की संख्या, जहाँ जिला निर्यात कार्ययोजना (District Export Action Plan - DEAP) क्रियान्वित एवं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हो।

(v) नवा रायपुर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो (CD) के माध्यम से संचालित निर्यात कंटेनरों के थ्रूपुट (Throughput) की मात्रा, जिसे वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट (TEU) के रूप में मापा जाएगा।

(vi) संबंधित विभागों के परामर्श से राज्य से संबंधित आँकड़ों, सूचनाओं एवं संस्थागत साक्ष्यों का निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index - EPI) तथा लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (Logistics Ease Across Different States - LEADS) सर्वेक्षण के प्रयोजनों हेतु समयबद्ध संकलन एवं प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना तथा इन दोनों के अंतर्गत राज्य की समग्र रैंकिंग एवं विभिन्न मानकों पर उसके प्रदर्शन की सतत निगरानी एवं मूल्यांकन करना।

उपरोक्त प्रमुख निष्पादन संकेतकों की निगरानी राज्य निर्यात संवर्धन समिति (State Export Promotion Committee - SEPC) द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाएगी।

10. प्रशासनिक प्रावधान

(1) निर्यातकों / उद्यमों को इस नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना / दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता मिलेगी। अधिसूचना/दिशा निर्देशों में संशोधन विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति से किया जाएगा। हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों में किसी विसंगति की स्थिति में हिंदी संस्करण मान्य होगा।

(2) इस नीति के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी भी समय

(i) इस नीति में संशोधन कर सकता है।

(ii) प्रावधानों में शिथिलता दे सकता है।

(iii) नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करने हुए दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

Nava Raipur Atal Nagar, the 21st September 2026

NOTIFICATION

No. PROJ/4839/2026-C&I.— Since, in the wider public interest, it is necessary to promote export-oriented units in order to develop the State as one of the country's major export hubs under the Industrial Policy 2019-24 and the Industrial Development Policy 2024-30,

Therefore, the State Government hereby notifies the Chhattisgarh Export Promotion Policy 2026-30 as attached.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.

Chhattisgarh Export Promotion Policy, 2026-30

1. Title and Applicability

- (1) This policy shall be called the Chhattisgarh Export Promotion Policy, 2026-30
- (2) It shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into operation from the date of its notification in the Official Gazette and shall remain in operation till 31st March, 2030.

2. Objectives

The Policy seeks to achieve its vision through the following objectives:

- (1) Increase export: The policy aims to increase exports from the state of Chhattisgarh. The State shall endeavor, by 31 March 2030, to (i) double Chhattisgarh's merchandise exports estimated from base year FY 2025-2026, and (ii) raise the State's share of India's merchandise exports from ~0.5% to 1.0%.
- (2) Strengthen Export Ecosystem: To develop a robust and enabling business environment through supportive policies, streamlined procedures and institutional facilitation.
- (3) Diversify Export Basket: To diversify the export basket by promoting both agricultural and industrial exports through upgradation of existing product lines, introduction of products and expansion into new and emerging sectors.
- (4) Enhance Market Access: By Facilitating direct linkages between exporters and international markets through trade facilitation, participation in international exhibitions and promotion of e-commerce platforms for cross-border trade.
- (5) Capacity Building & Skill Development: To strengthen institutional support, skill support, skill development initiatives to enhance the export capacities of entrepreneurs, MSMEs and farmer-producer organizations.
- (6) One District One Product (ODOP): To promote district-specific products identified under the One District One Product (ODOP) initiative and strengthen their competitiveness through value addition, branding, quality enhancement, and market access interventions, with a view to increasing their export potential.
- (7) Geographical Indication (GI) Products: To encourage the identification, protection, promotion, and commercialization of Geographical Indication (GI) products of the State and facilitate their access to national and international markets, thereby enhancing exports and generating sustainable livelihood opportunities for local producers and artisans.

3. Definition

- (1) "Policy" means and includes Chhattisgarh Export Promotion Policy, 2026-30.
- (2) "Enterprise" means an industrial undertaking or any other establishment, by whatever name called, engaged in manufacturing of goods, in any manner, or engaged in providing or rendering of service or services.
- (3) "Exporter" means the unit bearing Import-Export Code and Registration - cum-membership certificate (RCMC) issued by the concerned EPC/ Board/ Authority/Organization.
- (4) "First-time Exporter" means an enterprise holding a valid Importer-Exporter Code (IEC) against which no export shipping bill has been filed during the three (3) years immediately preceding its application under this Policy.
- (5) "Geographical indication", in relation to goods, means an indication which identifies such goods as agricultural goods, natural goods or manufactured goods as originating, or manufactured in the territory of a country, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of such goods is essentially attributable to its geographical origin and in case where such goods are manufactured goods one of the activities of either the production or of processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality, as the case may be.
- (6) For the purpose of this policy, the definitions and as provided under the Industrial Development Policy 2024-30, Chhattisgarh State Logistics Policy 2025 and Clause 5 of the Chhattisgarh Innovation and Startup Promotion Policy, 2025-30 are hereby incorporated mutatis mutandis into this Policy and shall apply with full force and effect.

4. Introduction

- (1) Exports are recognized as a key engine of economic expansion and progress. In line with the vision of building a "Viksit Bharat" by 2047, the Government of India has outlined an ambitious goal of reaching US\$ 1 trillion in merchandise exports by 2030, underscoring the pivotal role of trade in driving national growth and global competitiveness.
- (2) To accelerate exports and create an enabling ecosystem that integrates enterprises in Chhattisgarh into global markets, the Government of Chhattisgarh proposes to introduce a comprehensive Export Promotion Policy.
- (3) The policy adopts a dual approach- vertical and horizontal. The vertical strategy is aimed at providing direct market access and strengthening linkages for exporters, while the horizontal strategy focuses on upgrading

and diversifying existing product lines through value addition. Collectively, these approaches will identify priority sectors, delineate interventions along the value chain, outline support mechanisms to be extended by the State and address the challenges faced by exporters. By systematically reviewing the current landscape, the Policy seeks to position Chhattisgarh as a competitive and resilient export-driven economy.

(4) A distinctive feature of this Policy shall be its district-centric approach, wherein each district shall be developed as an Export Hub. The State Government shall undertake systematic identification of unique products and services from every district, with particular emphasis on those possessing Geographical Indication (GI) potential.

(5) In addition, this Policy shall accord special priority to the development of the services sector in order to harness and enhance its potential for contributing to the State's export growth. This will encourage local entrepreneurship, enhance product distinctiveness and build export potential at the grassroots level.

5. Export Profile

(1) During the financial year 2025-26, India's total merchandise exports stood at 41.21 lakh crore, while the exports from the State of Chhattisgarh during the same period amounted to approximately ₹0.19 lakh crore. This constitutes around 0.5% of the country's total merchandise exports. Considering the State's strong economic fundamentals and the competitive advantages available across various sectors, there exists substantial potential for a significant increase in exports through targeted interventions and appropriate policy support.

(2) The State's exports are primarily driven by its natural resource base and industrial capabilities. Non-basmati rice accounts for the largest share of the State's total exports at 55.14%, followed by iron and steel (20.05%), articles of iron and steel (6.26 %), aluminium and aluminium products (5.96%), telecommunication equipment, including smartphones (2.20%), and vegetable oils (1.77%). At the district level, Raipur contributes the highest share at 67.55%, followed by Raigarh (12.93%) and Korba (6.08%).

(3) Exports from Chhattisgarh reach various countries across Africa, Asia, and Europe, with Africa being the principal export destination region for the State. The major export destinations include Benin (11.35%), Italy (7.89 per cent), Côte d'Ivoire (7.66%), Togo (7.17%), and Senegal (6.81%).

6. Institutional Mechanism

(1) State Export Promotion Committee (SEPC)

The State Export Promotion Committee has been established to support exporters and industry stakeholders by providing a platform to provide a

forum for promotion of export, its strategy, exchange of views, information sharing and resolving challenges faced by exporters.

(2) District Export Promotion Committee (DEPC)

Under the chairmanship of the District Collector, the DEPC functions as the District Export Promotion Committee for the implementation of directions issued by the SEPC, Export & ODOP Cell and the Government of India.

(3) Export facilitation Centre (EFC)

The Government of Chhattisgarh has established the Export Facilitation Centre (EFC) at Udyog Bhawan. The EFC at Udyog Bhawan Raipur was established the basis of an MOU executed between the Government of Chhattisgarh and IIFT Kolkata as per Clause 11 (Export Facilitation) of the Industrial Development Policy, 2024-2030. The EFC provides dedicated support to exporters through assistance and counselling.

7. Incentives

The following provisions of incentives to exporters is intended to enhance the global competitiveness of Chhattisgarh's products and services, reduce cost disadvantages faced in international markets and facilitate greater market access.

(1) Financial Incentives

(i) Assistance for First-time Exporters

To encourage new enterprises to enter global markets, the State shall provide one-time financial assistance to First-Time Exporters in the form of reimbursement of up to seventy-five per cent (75%) of the cost incurred towards obtaining the Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) and other mandatory export-related registrations or licenses, subject to a maximum of 20,000 (Rupees Twenty Thousand) or the actual expenditure incurred, whichever is lower, in accordance with the eligibility conditions and operational guidelines notified under this Policy.

(ii) Promotion of E-Commerce Exports

With a view to enhancing market access and facilitating global outreach for enterprises established in the state, the State shall promote the adoption of e-commerce platforms for exports.

To encourage MSME exporters in utilizing e-commerce channels, financial assistance in the form of reimbursement of 75% of onetime onboarding costs charged by the E-Commerce platforms (including registration fees, subscription fees and cataloguing/listing charges.) shall be provided to MSME exporters, subject to a ceiling of 2,00,000 (Rupees Two Lakh) per IEC per annum for a maximum period of two years, from the date of notification.

(iii) Branding & Export Packaging Assistance

Assistance of fifty percent (50%) of the eligible cost, subject to a maximum

of 15,00,000 (Rupees Fifteen Lakh) per beneficiary per financial year, shall be provided to clusters, producer associations, and collectives for international branding and export packaging of ODOP and GI products, in accordance with eligibility criteria, disbursement conditions, and procedures to be prescribed in the operational guidelines issued under this Policy.

(iv) Export Credit Insurance Support

To ease financing costs and promote wider adoption of export risk coverage, the State shall provide reimbursement of insurance premium paid towards export credit insurance, subject to the following:

(a) MSME exporters shall be eligible for reimbursement of up to fifty per cent (50%) of the premium paid to the Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) or such other eligible export credit insurer as may be notified.

(b) First-Time Exporters shall be eligible for reimbursement of up to seventy-five per cent (75%) of the premium paid towards export credit insurance.

Provided that the assistance under this clause shall be subject to a maximum of 5,00,000 (Rupees Five Lakh) per Importer Exporter Code (IEC) per financial year, in accordance with the eligibility conditions and operational guidelines notified under this Policy.

(v) Export Logistics & ICD Throughput Support

(a) Exporters routing laden export through the Inland Container Depot (ICD)/Multi-Modal Logistics Park (MMLP), established in state of Chhattisgarh, and notified in the guideline, shall be eligible for a throughput incentive of 10,000 per Twenty-foot Equivalent Unit (TEU). The incentive shall be subject to a maximum limit of 20,00,000 (Rupees Twenty Lakh) per IEC per financial year for a maximum period of three (3) years, from the date of notification.

(b) An Export Unit established in the State shall be eligible for reimbursement of fifty per cent (50%) of the actual freight expenditure (excluding Government fees and taxes) incurred on transportation of export consignments from its premises to the ICD /Multi-Modal Logistics Park (MMLP), established in state of Chhattisgarh, and notified in the guideline. The reimbursement shall be subject to a maximum limit of 2,00,000 (Rupees Two Lakh) per IEC per financial year.

Provided that the above incentive shall stand discontinued in respect of an ICD/MMLP upon completion of three (3) years from the date of notification or upon the State Export Promotion Committee (SEPC) determining that the facility has attained sustained utilization of its installed capacity, ordinarily at or above sixty per cent 60% or such other level as the Committee may determine based on operational and commercial considerations, whichever is earlier.

(vi) Promotion of GI Products

To strengthen the export potential of such GI-tagged the State shall institutionalize targeted interventions focusing on capacity building, standardization, branding and market access. The Government of Chhattisgarh shall assist associations and other organizations in the identification and registration of Geographical Indications (GIs). For this purpose, the Government of Chhattisgarh shall reimburse the registration fees of GI applicant, incurred towards the filing and registration of a Geographical Indication, subject to a maximum limit of 2,00,000 (Rupees Two Lakh) upon the successful registration and grant of the certificate of registration duly sealed by the Geographical Indications Registry under the Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999 along with its rules.

(vii) Export Excellence Awards

The State Export Excellence Awards will be distributed annually to eligible exporters of the State for their outstanding export performance under different categories. A total of three (03) Exporter Excellence Awards shall be conferred annually, covering the following categories, namely the Outstanding State Exporter, the Outstanding Women Exporter, and the Outstanding Exporter from Scheduled Caste (SC) / Scheduled Tribe (ST).

In addition, nine (09) Consolation Prizes shall be awarded annually in specific product/service categories under the Industrial Development Policy 2024-30, so as to encourage wider participation and acknowledge promising exporters for their performance.

The Award Amount will be 2,00,000 (Rupees Two Lakh) for each State Export Excellence Award and 51,000 (Rupees Fifty-one Thousand) for each Consolation Prize. An export unit once selected for an award shall not be eligible for a period of two years.

(2) Non- Financial Incentives

(i) Capacity Building and Export Awareness

The Government of Chhattisgarh will launch a State-wide Export Promotion Campaign with the objective of strengthening the capabilities of exporters and building awareness on product identification, export destination identification, Tariff imposed, schemes of central & state governments and their benefits, logistics costs, insurance, Non-Trade Measures (NTMs), Non-Trade Barriers imposed by various import destinations, credit finance options and its procedure, Customs Procedures, Compliance of Trade Policy, Custom Tariff act, Free trade agreements (FTA) Utilization, As part of this initiative, district-level workshops and seminars shall be conducted to provide hands-on guidance and support to existing and prospective exporters.

(ii) Training in Export Procedures and Documentation

To strengthen the export ecosystem and improve the competitiveness of

exporters, the State shall implement specialized training programmes in collaboration with premier institutions such as the Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) and other recognized trade bodies. An annual training calendar, prepared in consultation with recognized trade associations and organizations recognized by the Central and State Governments, will provide a structured framework for the systematic and continuous implementation of such programs.

(iii) Training in Quality Standards and Certification

To promote global competitiveness, training programs shall also be conducted in collaboration with nationally recognized testing and certification agencies such as Bureau of Indian Standards (BIS), Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), International Organization for Standardization (ISO), Indian Institute of Packaging (IIP), Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Indian Institutes of Technology (IITs) and other relevant institutions. These programs will focus on enhancing awareness of national and international quality standards, certification requirements, compliance mechanisms and quality management systems. Special emphasis shall be placed on positioning exports through certifications such as Certificate of Origin and Geographical Indication (GI) tagging.

(iv) Promotion of One District One Product (ODOP)

Under the One District One Product (ODOP) initiative, a total of 38 unique products have been identified across 33 districts of Chhattisgarh. It includes a diverse range of products, such as rice, maize, pulses, oilseeds, fruits, vegetables, handicrafts and forest-based produce, have been designated as ODOP/DEH products, reflecting the State's agricultural strength, natural resource base and traditional crafts. State shall endeavour to create brands, create market linkages and export promotion of these products, thereby enhancing income opportunities for farmers, artisans and micro and small enterprises across districts.

(v) Market Access Support

To enhance market access, promote the national and international recognition of products and services from the State, expanding access to global markets, promoting Business-to-Business engagement, and facilitating access of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) exporters to new export markets, the State Government shall facilitate participation in national and international trade fairs, exhibitions, Buyer-Seller Meets and Reverse Buyer-Seller Meets, and may also organize such events.

Priority shall be accorded to First-Time Exporters and MSME exporters of One District One Product (ODOP) and Geographical Indication (GI) products for such participation.

The expenditure incurred on such participation shall be met from an

annual budgetary provision of 500.00 lakh (Rupees Five Crore only), which may be increased by up to five per cent (5%) annually, subject to budgetary approval of the State Government.

Wherever eligible under the guidelines of the Government of India, the State Government shall endeavour to make maximum use of the financial assistance available under the Market Access Support (MAS) component of the Export Promotion Mission (EPM) or under any other scheme applicable in lieu thereof.

(vi) Export Research, Market Intelligence and Intellectual Property

The Government of Chhattisgarh shall ensure the availability of timely, reliable, and comprehensive export-related information as a prerequisite for monitoring performance, assessing sectoral trends, implementing corrective measures in case of adverse developments, and assisting in registration of patent, trademarks and other intellectual property.

Export research and Market Intelligence may include Country wise, Sector wise and Commodity wise reports, Identification of exportable products, and export destination, Tariff imposed, Schemes of central & state governments and their benefits, logistics costs, Insurance, Non-Trade Measures (NTMs), Non-Trade Barriers imposed by various import destinations, Testing and Certification requirements, Compliance of standards, Credit finance options and its procedure, Customs Procedures, Compliance of Trade Policy, Custom Tariff act, Free trade agreements (FTA) Utilization, analyses of dumping by other countries affecting raw materials used for exports, safeguard measures imposed by other countries, Identification of trade exhibitions, buyer- seller meets, identification of ODOP products, Geographical products and its promotions.

For this purpose, an "Export Intelligence Cell" (EIC) shall be established under the control of the Directorate of Industries, and dedicated fund of three (3) Crore per year will be allocated, firstly, for conducting market research, secondly, for market intelligence analytical studies to identify emerging trade opportunities, untapped markets, and product-specific demand patterns, and finally, for assistance in intellectual property registration of exportable products.

For the benefit of exporters, the Government of Chhattisgarh has launched the Invest CG Portal, which will serve as the central platform for export-related information. Within this portal, a dedicated export module has been established to provide Chhattisgarh-specific data and resources in a structured and accessible manner. This section includes up-to-date export statistics, notifications on trade fairs and exhibitions, details of exportable products, identification of prospective markets, infrastructure availability, market intelligence reports and information on Free Trade Agreements (FTAs). To further promote exports at the grassroots, the Government is

formulating District Export Action Plans. These plans, shall identify products with high export potential, suggest diversification strategies and guide the development of district-specific export ecosystems. By institutionalizing this framework, Chhattisgarh aims to establish its districts as Export Hubs, thereby strengthening the State's contribution to India's export growth.

8. Promotion of Service Exports

(1) The Ministry of Commerce and Industry, Government of India has made a provision of 5,000 crore under the "Champion Sectors in Services" action plan for the development of 12 Champion Service Sectors. In alignment with this national framework, the Government of Chhattisgarh, taking into account the State's geographical, cultural, and industrial characteristics, has identified key sectors for the promotion of services exports that includes Amusement, Water and Adventure Parks; Hotels, Resorts and Convention Centers; Museums and Other Cultural Services; Eco-Tourism Centers in designated development blocks; Health and Wellness Centers; Homestays near wildlife conservation and protected areas in Bastar and Surguja Divisions; Working Women Hostels; Centers of Excellence (CoE); Adventure Tourism Facilities; 3D/Animation/VFX Studios; Film Studios; Business Process Outsourcing (BPO); IT Consultancy; Data Processing Centers; and Artificial Intelligence-related Research and Development.

(2) Service Export Promotion

Recognizing the growing potential of services as a key driver of global trade, the State shall prioritize the promotion of service exports across identified key sectors such as tourism, entertainment, wellness, education, IT & IT-enabled services and emerging digital technologies.

(i) Skill Development

The service sector is critically dependent on the skill and industry-readiness of its workforce. Sectors such as tourism, hospitality, healthcare, construction, and allied services require specialized and certified personnel to enhance service exports.

The State Government shall collaborate with Sector Skill Councils (SSCs) established as autonomous, industry-led bodies under the National Skill Development Corporation (NSDC), Government of India, to promote skill development and certification across identified service sectors. These Councils shall develop occupational standards and competency frameworks, conduct training-of-trainers programmes, undertake skill gap assessments, and certify trainees in alignment with national occupational standards, thereby strengthening the skill ecosystem for service exports.

(ii) Facilitation in Adoption of Regulations, Standards and Certifications

Service exporters are required to comply with the regulatory and certification

requirements prescribed in the export destination markets. The State Government shall facilitate enhancement of the competence and capability of service providers to meet requisite licensing, qualification, and technical standards.

The State shall ensure timely dissemination of relevant information necessary for obtaining authorizations, including applicable procedures, qualification requirements, prescribed fees, and contact details of the competent authorities. Further, the State shall support the establishment and adoption of appropriate standards, criteria, and certification mechanisms to enable service suppliers to access global markets effectively.

(iii) Exploring Potential Market Access

The Government of India has executed several FTAs pertaining to trade in services with partner countries including the European Union, the United Kingdom, the United Arab Emirates (UAE), Mauritius, Australia, member countries of EFTA-TEPA, Malaysia, Singapore, Japan, Republic of Korea ASEAN nations, and others. These FTAs provide preferential market access to Indian service providers in diverse sectors, thereby facilitating enhancement of India's service export potential. The State Government shall endeavor to leverage such FTAs for promotion of service exports from the State by undertaking proactive measures such as dissemination of awareness, capacity building and upskilling of exporters.

(iv) Promotion of Other Business Services (OBS) Exports

The State Government shall promote Chhattisgarh as a hub for service exports in engineering, legal, management, research, and allied professional sectors through institutional development, capacity building, and market preparedness. Support shall be extended for the development of occupational standards, competency frameworks, and certification programmes in alignment with national and international benchmarks. Sector-specific associations shall be encouraged to establish international linkages, partnerships, and collaborations to facilitate global market access. The State shall also implement targeted upskilling and outreach initiatives to enhance the competence of service providers and strengthen digital, knowledge, and service delivery infrastructure to improve competitiveness and promote sustainable growth of professional service exports.

(3) Eligible service exporters shall be considered for selection under the State-Organised Market Access provision of this Policy on the same basis as exporters of goods, in accordance with the operational guidelines.

9. General Terms and Condition

(1) For the implementation of the grants, incentives, concessions, eligibility criteria, and other provisions contained in this Policy, the Government of Chhattisgarh, Department of Commerce and Industry, shall issue detailed

guidelines and/or notifications, as may be required.

(2) Any issue relating to the interpretation, clarification, or implementation of this Policy or the operational guidelines issued thereunder shall be decided by the Department. The decision of the Department shall be final and binding.

(3) The Export Intelligence cell and District Export Promotion Committees shall aggregate ODOP, Agricultural and allied product, and MSME export cargo for consolidation and containerization at the ICD, including LCL (less-than-container-load) facilitation for small exporters.

(4) Enterprises established in the Bastar and Surguja Divisions shall be eligible for an additional 10% grant over and above the admissible grant, and the maximum permissible limit of the grant shall also be enhanced by 10%.

(5) Enterprises established by women entrepreneurs, Schedule Caste, Schedule Tribe, ex-servicemen of the Indian Armed Forces domiciled in the State, retired Agniveers domiciled in the State, persons and families affected by Left Wing Extremism (Naxalism), persons with disabilities shall be eligible for an additional 10 per cent grant over and above the admissible grant available to enterprises established by entrepreneurs under the general category. The maximum permissible limit of such grant shall also be enhanced by 10 per cent.

(6) Exporter of ODOP, GI Products, Export Units belonging to the Startup sector and Thrust Sectors notified under the Industrial Development Policy shall also be eligible for an additional 10 per cent grant, and the maximum permissible limit of the grant shall likewise be enhanced by 10 per cent.

(7) Notwithstanding anything contained in this Policy, the aggregate enhancement in grant and grant ceiling available to any enterprise on account of all applicable special categories, including regional, sectoral, and enterprise-specific categories, shall not exceed 15 per cent over the grant and grant ceiling otherwise admissible under this Policy.

(8) The application forms for the various grant schemes under this Policy may be prescribed and issued by the Director of Industries.

(9) No enterprise shall be eligible to claim or receive any reimbursement, grant, incentive, or other financial assistance under this Policy in respect of any expenditure or activity for which assistance has been claimed, sanctioned, or received under the Government of India Export Promotion Mission (EPM) or any other scheme of the Government of India or the Government of Chhattisgarh.

(10) Save as expressly provided, the conditions prescribed under the Industrial Development Policy 2024-30 and the rules thereunder shall not apply to incentives under this Policy. Claims under this Policy shall be filed within 12 months of the relevant expenditure or event. Any assistance obtained on the basis of misdeclaration or in breach of clause 9(9) shall be

recoverable with interest at 12.5% per annum as arrears of land revenue.

(11) The Export Intelligence Cell (EIC) established under this Policy shall be required to achieve and monitor Key Performance Indicators (KPIs), not limited to, following KPIs:

- (i) number of new and first-time exporters registered and facilitated under the Policy;
- (ii) increase in the share of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the total exports of the State;
- (iii) growth in the value of non-rice and non-steel exports, as an indicator of export diversification;
- (iv) number of districts with an operational District Export Action Plan (DEAP) implemented and under execution.
- (v) volume of export container throughput handled through the Nava Raipur Inland Container Depot (ICD), measured in Twenty-foot Equivalent Units (TEUs); and
- (vi) the timely compilation and submission of data, information, and institutional evidence pertaining to the State for the purposes of the Export Preparedness Index (EPI) and the Logistics Ease Across Different States (LEADS) survey, in consultation with the concerned Departments, and to monitor and evaluate the State's overall ranking and parameter-wise performance thereunder.

The aforesaid KPIs shall be monitored on a quarterly basis by the State Export Promotion Committee (SEPC).

10. Administrative Provisions

(1) Exporters/enterprises shall receive assistance under this Policy in accordance with the notifications/guidelines issued by the Government of Chhattisgarh, Department of Commerce and Industry. Amendments to such notifications/guidelines shall be made with the administrative approval of the Department. In the event of any discrepancy between the Hindi and English versions, the Hindi version shall prevail.

(2) Subject to provisions under this policy, the Government of Chhattisgarh, Department of Commerce & Industries at any time-

- (i) May amend this, Policy;
- (ii) May grant relaxation in the provisions;
- (iii) May issue guidelines/clarifications to clarify the provisions of the Policy.